



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्र. 888 / छगस्वावितविवि / अका. / 2020

भिलाई-नेवई, दिनांक 19/5/2020


प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध इंजीनियरिंग/फार्मेसी/प्रबंधन महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
भिलाई।

विषय: वरिष्ठता सूची 2020 हेतु जानकारी उपलब्ध कराने विषयक।

विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय की 01.07.2020 की स्थिति में संबद्ध संस्थाओं के नियमित शिक्षकों (परिनियम 19 अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त) की वरिष्ठता सूची अद्यतन (update) की जानी है अतः संलग्न प्रारूप में वांछित जानकारी सभी आवश्यक एवं सुसंगत दस्तावेजों (Relevant Documents) के साथ दिनांक 10 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने का कष्ट करें। वरिष्ठता सूची से संबंधित दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है। कृपया तदनुसार जानकारी देवें। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त अथवा अपूर्ण अस्पष्ट जानकारी पर कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी और ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संस्था एवं संस्था प्रमुख की होगी। जिन प्रपत्रों में जानकारी निरंक हो वे प्रपत्र भी यथानुरूप भरकर भेजना अनिवार्य है।

संलग्न: प्रारूप/प्रपत्र


18/5/2020
कुलसचिव
छगस्वावितविवि, भिलाई




CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

वरिष्ठता सूची भेजने हेतु दिशा – निर्देश

1. विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची में केवल परिनियम 19 (Statute) के तहत चयनित अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त व संस्था के नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों का नाम ही शामिल होगा तथा पदनाम परिनियम 19 के अनुसार ही मान्य होगा।
2. विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा Protem Lecturer/Proterm Ass. Professor को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जावेगा अतः उनका नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है।
3. संस्था परिवर्तन की स्थिति में एक संस्था से कार्यमुक्ति आदेश (Reliving order) के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर अन्य संस्था में कार्यभार (Joining) ग्रहण करने पर ही वरिष्ठता सूची में नाम शामिल करने के लिए कार्यमुक्ति आदेश (Reliving order) तथा नयी संस्था में कार्यभार ग्रहण (Joining report) की प्रति संलग्न होना अनिवार्य है।
4. विश्वविद्यालय के परिनियम (Statute)19 के तहत चयनित होने पर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक या बाद की कार्यभार ग्रहण तिथि (Joining report) ही मान्य होगी। चयन पूर्व की तिथि मान्य नहीं की जावेगी।
5. संस्था से भेजी जाने वाली जानकारी केवल निर्धारित प्रपत्र में वर्तमान स्थिति के संबंध में जिनका उससे संबंध है वही भेजी जावे न कि पूरी संस्था के शिक्षकों की।
6. विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची की प्राविधिक (Provisional) सूची प्रकाशित की जावेगी जिसके प्रकाशन तिथि से 15 दिवसों में ही दावा आपत्ति मान्य की जावेगी।
7. विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट (Website) में उपलब्ध हैं। सभी संबंधित सूची का अवलोकन करने के बाद ही तदानुसार जानकारी भेजें।
8. संस्था प्रमुख इस आशय का शपथ पत्र देगें कि संलग्न प्रपत्र में Category-I से Category-IV की जानकारी पूर्ण एवं सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये संस्था प्रमुख उत्तरदायी होगा।


18/5/2020
कुलसचिव
छगस्वावितविभि भिलाई



Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai

Updation of Seniority List 2020 for Statute 19

Name of the Institution :

Category I - Institution Transfer/Left

Form 1

(A) Faculty Joined from other Institution

S.No.	S.No in the Seniority list as on 01/07/2019	Name of Faculty	Designation As per statute 19	Branch/ Discipline	Faculty ID	Name of Previous Institution	Date of Relieving	Date of Joining in new Institution	Is Information given to CSVTU Yes or Not	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										

(Please enclose documents of individual pertaining to column 8, 9 & 10)

Form 2

(B) Faculty Left the Institution

S.No.	S.No in the Seniority list as on 01/07/2019	Name of Faculty	Designation As per statute 19	Branch / Discipline	Faculty ID	Date of Relieving	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

(Please enclose documents of individual pertaining to column 7)

Contd...



Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai

Updation of Seniority List 2020 for Statute 19

Form 3

Category II - Upgraded Designation

S.No. 1	S.No in the Seniority list as on 01/07/2019 2	Name of Faculty 3	Current Designation As per statute 19 4	Branch / Discipline 5	Old Designation (As in Seniority list) 6	Faculty ID 7	Date of Approval for New Designation Under Statute - 19/ Order of Govt. of C.G. 8	Remarks 9
1								
2								
3								
4								
5								
6								

(Please enclose documents of individual pertaining to column 8)

Form 4

Category III - New Selection Under Statute - 19

S.No. 1	Name of Faculty 2	Designation As per statute 19 3	Branch / Discipline 4	Faculty ID 5	Date of Ratification Under Statute - 19/ Appointment order of Govt. of C.G. 6	Date of Joining 7	Remarks 8
1							
2							
3							
4							

(Please enclose documents of individual pertaining to column 6 and 7)

Contd...



Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai

Updation of Seniority List 2020 for Statute 19

Form 5

Category IV - Correction in Previous Seniority List

S.No. 1	S.No in the Seniority list as on 01/07/2019 2	Name of Faculty 3	Designation As per statute 19 4	Branch /Discipline 5	Faculty ID 6	Details of Corrections to be made 7	Remarks 8
1							
2							
3							
4							

(Please enclose documents of individual in support of column 7)

Institution Seal

Signature of the Principal



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

Affidavit of Principal

I hereby solemnly affirm that the information provided by me in the formats 1 to 5 for the purpose of Updation of seniority list of the university as on 01/07/2020 are true and corrected.

Principal
Institute-----